

राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक..... 121/अलवर/2007-08
..... 49

यह प्रमाणित किया जाता है कि लागू की वाकगी, बुन्दोकाक
..... अलवर जिला अलवर का
राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम
नं. 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज
दिनांक 10/08 माह अगस्त सन् 2007 एक हजार नौ सौ को
अलवर में दिया गया।



अलवर
रजिस्ट्रार संस्थायें
अलवर।